

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

संख्या-1/श्रम वि०ई०-7-7003/2011 श्र०सं०...../श्री अनिल कुमार, प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं-59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर वरीय उप समाहर्ता के पद पर चयन के उपरांत योगदान देने हेतु गहन रखते हुये संसूचित दण्ड एवं सभी आरोपों सहित अधिसूचना निर्गत की तिथि से विरमित किया जाता है।

2. इनके दण्ड एवं आरोप से संबंधित कागजात अलग से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

3. श्री कुमार द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार इनका गहन विरमन की तिथि से दो वर्ष या वरीय उप समाहर्ता के पद पर सेवा सम्पुष्टि की तिथि (जो भी पहले हो) तक बरकरार रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

( सूर्यकान्त मणि )

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०ई०-7-7003/2011 श्र०सं०.....169...../ पटना-01, दिनांक-04/01/2019

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना सं०-16580 दिनांक 19.12.18 के आलोक में/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा-6) से अनुरोध है कि श्री अनिल कुमार, प्राचार्य, औ०प्र०संस्थान, ठाकुरगंज, किशनगंज के आरोप के संबंध में यथोचित निर्णय लेते हुये इनके आरोप से संबंधित सभी कागजात संलग्न कर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को यथाशीघ्र प्रेषित करने की कृपा की जाय।

04/01/19

सरकार के उप सचिव।